केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

दिल्ली - 110032

सं.सी-27013/01/2016-हिन्दी 157 दिनांक: 23.06.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय बोर्ड की 81वीं बैठक का आयोजन।

उपर्युक्त विषय पर यह सूचति किया जाता है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 81वीं बैठक अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2017 (बुधवार) को दोपहर 12.00 बजे परिवेश भवन के सम्मेलन कक्ष (द्वितीय तल) में होनी निश्चित हुई है। बैठक की कार्यसूची इस ज्ञापन के पीछे दी गई है। कार्यसूची में सम्मिलित मदों पर संक्षिप्त टिप्पणी बैठक के समय प्रस्तुत की जाएगी।

इस संदर्भ में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बैठक में यथासमय उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि समिति का कोई सदस्य कार्यालय में उपस्थित नहीं है, तो वह संबंधित अनुभाग से अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(ओमदास)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

....

समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़ रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप-निदेशक (कार्या.), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली - 110023
3. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स.वाई. 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023
4. अध्यक्ष के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, जनसंपर्क प्रभाग - कृपया उक्त तिथि को बैठक हेतु सम्मेलन कक्ष (द्वितीय तल) का आरक्षण तथा 35 व्यक्तियों के जलपान (चाय बिस्कुट एवं जल) की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी, आई.टी प्रभाग - कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(ओमदास)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.06.2017 को आयोजित 81वीं बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित मदों पर संक्षिप्त टिप्पणी

मद सं. 1 : पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली अर्थात 80वीं बैठक दिनांक 28.03.2017 को अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में इसी सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई थी। पिछली बैठक के कार्यवृत्त समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ, अनुवर्ती कार्रवाई एवं उनकी टिप्पणी हेतु परिचालित किए गए थे। अभी तक कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अत: अनुरोध है कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी जाए।

मद सं. 2 : पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछली बैठक में समिति को अवगत कराया गया था कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण का समय चल रहा है। इसमें समिति को दिए गए आश्वासन से संबंधित मामलों पर सवाल किए जाते हैं तथा दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने की स्थिति पर स्पष्टीकरण कार्यालय प्रमुख से मांगा जाता है। केन्द्रीय बोर्ड में भी हिन्दी से संबंधित पदों के सृजन का मामला मंत्रालय में लंबित है। पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की ओर से एक अर्ध-सरकारी पत्र और इसके बाद एक अनुस्मारक पत्र जारी किया जा चुका है। किंतु मंत्रालय से इस विषय पर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि मंत्रालय इस मुद्दे को अलग-अलग तरीके से लटका रहा है।

पिछली बैठक में पत्राचार बढ़ाने से सबंधित मुद्दे पर भी सभी प्रभाग प्रभारियों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुभाग में पत्राचार बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें। इस विषय में यह सूचित किया जाता है कि गत तिमाही में हमारे पत्राचार के प्रतिशत में केवल 02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई है। परंतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100 प्रतिशत है। इस विषय में सभी प्रभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि पत्राचार में लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएं।

मद सं. 3 : हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

गत अवधि में केन्द्रीय बोर्ड में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत 240 आदेश/परिपत्र/दस्तावेज जारी किए गए, जो द्विभाषी रूप में थे। कार्यालय को राजभाषा नियम- 05 के तहत कुल 50 पत्र प्राप्त हुए। इन सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। 'क' क्षेत्र से अंग्रेजी में 190 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 179 का उत्तर हिन्दी में दिया गया। केवल 11 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया। इसके अतिरिक्त 'ख' क्षेत्र से 68 पत्र अंग्रेजी में प्राप्त हुए। इनमें से 52 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। शेष बचे पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया। उक्त अवधि में मुख्यालय से कुल 9287 पत्र भेजे गए, जिनमें से 6740 पत्र हिन्दी में तथा 2547 पत्र अंग्रेजी में थे। पत्राचार का प्रतिशत लगभग 74% है, जो निर्धारित लक्ष्य अर्थात 100% से अभी भी कम है। हम लक्ष्य से बहुत पीछे है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस अवधि में 01 पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें केन्द्रीय बोर्ड के 25 अधिकारियों ने भाग लिया।

मद सं. 4 : संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के नौवे खंड में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई

समिति के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति की नौवे खंड की सिफारिश 02 जून, 2011 को महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट पर महामहिम राष्ट्रपति जी का आदेश दिनांक 31 मार्च, 2017 को संकल्प के रूप में जारी किया गया है। श्री प्रभास कुमार झा, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि समिति की इन सिफारिशों के आधार पर राजभाषा के संबंध में माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश का अपने कार्यालय में कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

मद सं. 5 : वर्ष 2017-18 की अवधि के वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन

सर्वविदित है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, बैंकों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और स्वायत निकायों आदि में कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया जाता है। इस वर्ष भी राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए वार्षिक

कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसे केन्द्रीय बोर्ड के मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय निदेशालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया गया है। इस संदर्भ में यहां उपस्थित सभी प्रभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें दिए गए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

मद सं. 6 : हिन्दी से संबंधित पदों के सृजन पर कार्रवाई।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जाता है कि हिन्दी अनुभाग के काम-काज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय में हिन्दी से संबंधित पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त होने तक विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 78 व 79 वीं बैठक में वाह्य स्रोत से 02 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, 01 हिन्दी आशुलिपिक, व 02 हिन्दी टंकक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। भर्ती अनुभाग ने 02 हिन्दी टंकक तो उपलब्ध करा दिए हैं किंतु 02 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक और 01 हिन्दी आशुलिपिक उपलब्ध कराने की प्रतीक्षा की जा रही है।

अनुभाग में हिन्दी स्टॉफ की कमी है। मेरा अनुरोध है कि इस कमी को शीघ्र पूरा करा दिया जाए ताकि राजभाषा नीति और उससे संबंधित आदेशों का केन्द्रीय बोर्ड में सुचारू रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

मद सं. 7 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

****